राजस्थान–सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक,पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,राज.,
"कर–भवन", अजमेर

क्रमांकः एफ–7(70)जन/2015/6019 दिनांक : 30/5/16

उप महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक,
वृत्त हनुमानगढ़।

विषय :पैतृक सम्पत्ति के विभाजन पत्र पर देय स्टाम्प ड्यूटी के संबंध में।

प्रसंग :आपका पत्रांक 3088 दिनांक 26.05.16

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में लेख है कि राज्य अधिसूचना क्रमांक एफ.2 (3)एफडी/टैक्स/डीवी/98–185 दिनांक 26.03. 1999 के द्वारा पैतृक कृषि भूमि के विभाजन पत्र पर देय मुद्रांक कर की पूर्ण रियायत प्रदान की गई है।

भ व दी य,

(हरफूल सिंह यादव)
अतिरिक्त महानिरीक्षक (प्रवर्तन),
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

"कर भवन", द्वितीय तल, टोडरमल मार्ग, अजमेर 305001 (राज.).
फो : 0145–2627590, 2425105 फैक्स 2431002, 2627750 ई–मेल igrsa@rajasthan.gov.in
वेबसाईट : http://igrs.rajasthan.gov.in

राजस्थान–सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राज.
"कर–भवन" अजमेर

क्रमांक : एफ–7(42)जन/2015/पार्ट/7247–260 दिनांक : 14.6.2016

समस्त उप महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक,
राजस्थान।

विषय : पैतृक कृषि भूमि के विभाजन पत्र (Partition of ancestral agricultural land) पर स्टाम्प ड्यूटी/पं. शुल्क के निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के आर्टिकल–42 के अधीन विभाजन पत्र पर स्टाम्प ड्यूटी का प्रावधान है। राज्य सरकार द्वारा पैतृक कृषि भूमि के विभाजन पत्र के दस्तावेज पर राज्य अधिसूचना क्रमांक एफ.2(3)वित्त/कर–डीवी/98–185 दिनांक 26.03.1999 के द्वारा स्टाम्प ड्यूटी से पूर्ण छूट प्रदान की गई है। अधिसूचना दिनांक 26.03.1999 का उद्धरण निम्नानुसार है :–

"**राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) अधिनियम, 1952 (1952 का राजस्थान अधिनियम 7) द्वारा राजस्थान के लिए यथा अनुकूलित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का केन्द्रीय अधिनियम 2), की धारा 9 की उपधारा (1) खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोकहित में राजस्थान सरकार इसके द्वारा आदेश देती है कि पैतृक कृषि भूमि के विभाजन पत्र के दस्तावेज को देय मुद्रांक कर से मुक्त कर दिया जायेगा।**"

इसी प्रकार पैतृक कृषि भूमि के विभाजन के दस्तावेज पर अधिसूचना क्रमांक एफ.12(25)वित्त/कर/11–155 दिनांक 09.03.11 के द्वारा पंजीयन शुल्क की रियायत भी दी गई है। अधिसूचना दिनांक 09.03.11 का उद्धरण निम्नानुसार है :–

"**रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 78 की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोक हित में ऐसा किया जाना समीचीन है, राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 48 के उपबंधों के अनुसार निष्पादित कृषि भूमि के विनिमय की लिखत और पैतक कृषि भूमि के**

विभाजन की लिखत पर प्रभार्य रजिस्ट्रीकरण फीस का इसके द्वारा परिहार करती है।''

विभाग के ध्यान में आया है कि न्याय आपके द्वार अभियान–2016 के अन्तर्गत शिविर स्थलों पर पंजीयन हेतु प्रस्तुत, पैतृक कृषि भूमि के विभाजन के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क की मांग की जा रही है, जो उचित नहीं है।

अतः निर्देश है कि पैतृक कृषि भूमि का विभाजन पत्र प्रस्तुत होने पर उपरोक्त उल्लेखित अधिसूचनाओं के प्रावधान अनुसार स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क की रियायत प्रदान करते हुए पंजीयन की कार्यवाही सम्पादित करने के निर्देश तत्काल अपने वृत्त के समस्त उप पंजीयकों को प्रदान करें।

भवदीय

(के.बी. गुप्ता)
महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान अजमेर

क्रमांक : एफ–7(42)जन/2015/पार्ट/7261–295 दिनांक : 14.6.2016

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है :–

1. श्री ओ.पी. साहरण, विशेषाधिकारी, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार जयपुर से दूरभाष पर हुई चर्चा के क्रम में।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (कर) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
3. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान। कृपया आप अपने सभी कैम्प प्रभारी अधिकारियों को तदानुसार तत्काल सूचित कर उक्त छूट का लाभ पात्र कृषकों को दिलाया जाना सुनिश्चित करें।

महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान अजमेर

"कर भवन", द्वितीय तल, टोडरमल मार्ग, अजमेर 305001 (राज.),
फो. : 0145–2627590, 2425105 फैक्स 2431002, 2627750 ई–मेल igrs@rajasthan.gov.in
वेबसाईट : http://igrs.rajasthan.gov.in